# पंचदश बिहार विधान सभा

## षोडश सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-13.03.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०<br>श्री राम नरेश यादव, स०वि०स०<br>श्री विनय कुमार सिंह, स०वि०स०<br>श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स०<br>श्री परमानन्द ऋषिदेव, स०वि०स०<br>ज्ञानचन्द मांझी, स०वि०स० | "राज्य में किडनी रोगियों के इलाज के लिये सरकार द्वारा ह्यूमैन आर्गेन ट्रांसप्लांट ऐक्ट 1994 लागू होने के बाद विगत दो वर्ष पूर्व इसकी नियमावली लागू की गयी थी । इन दो वर्षों में पी०एम०सी०एच० एवं आई०जी०आई०एम०एस० जैसे संस्थानों के प्रयास के बावजूद किडनी प्रत्यारोपण का कार्य नहीं किया जा सका । यहाँ के चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं । अभी तक इस मद में राशि का आवंटन नहीं हो पाया है । क्रोनिक किडनी रोग से देश में प्रत्येक दस में से एक व्यक्ति पीड़ित है । इस अनुपात में राज्य के एक करोड़ से ज्यादा की आबादी इस रोग से पीड़ित है । किडनी रोगियों का उपचार सुविधा मुहैया कराने हेतु हर जिला अस्पताल में पाँच बेड का डाईलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा हुई, परन्तु अधिकतर अस्पतालों में डाईलिसिस सुविधा शुरू नहीं हो सकी है जिसके कारण मरीजों की मृत्युदर में वृद्धि हो रही है जबकि 12 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है ।<br>अत: राज्य में किडनी रोगियों के इलाज के लिये डाईलिसिस एवं किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शीघ्र मुहैया कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।" | स्वास्थ्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स०<br>श्री सदानंद सिंह, स०वि०स०<br>श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, स०वि०स० | "गरीबों को सस्ते एवं मुफ्त अनाज देने के लिए सरकार खाद्य निगम, पैक्स एवं अन्य माध्यमों से धान का क्रय करती है और वही धान मिलरों को दिया जाता है लेकिन वर्ष 2011 से 2014 तक 03 लाख 44 हजार 757 मिट्रीक टन धान राज्य के विभिन्न गोदामों में पड़े रह गए । अधिकारियों का कहना है कि मिलरों द्वारा धान नहीं लेने के कारण इतने धान जिसकी लागत लगभग 210 करोड़ है, गोदाम में पड़ा रह गया । यह एक गंभीर मामला है जिसकी जाँच आवश्यक है । धान के गोदामों में पड़े रहने के रहस्य पर से पर्दा उठना आवश्यक है ।<br>अत: 210 करोड़ रूपये का धान बेस गोदाम में पड़े रहने एवं उसकी भौतिक स्थिति की जाँच तथा उसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।" | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण |

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/15- 425 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/3/15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/15- 425 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

12/3/15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

12/3/15